

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र/50/2019

मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस रजिस्टर्ड ऑफिस -8 सन्त नगर, पूर्वी कैलाश ,नई दिल्ली 110065 तथा कॉरपोरेट ऑफिस प्रैस्टीज टावर ,ई-1 ए तीसरी मंजिल आम्रपाली सर्किल के पास वैशाली नगर,जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी राजेन्द्र शर्मा ।

.....प्रार्थी / सिक्वोर क्रेडिटर

### **बनाम**

- 1-प्रेमसिंह पुत्र काशीराम निवासी -216, शिव कालोनीए वार्ड नं0 1,बयाना जिला भरतपुर  
.....ऋणी
- 2-भरतसिंह पुत्र काशीराम निवासी -216, शिव कालोनीए वार्ड नं0 1,बयाना जिला भरतपुर  
.....सहऋणी
- 3-लखनसिंह पुत्र काशीराम निवासी -216, शिव कालोनीए वार्ड नं0 1,बयाना जिला भरतपुर  
.....सहऋणी
- 4-श्रीमति हंसिया पत्नि काशीराम निवासी -216, शिव कालोनीए वार्ड नं0 1,बयाना जिला भरतपुर अन्य पता : खसरा नम्बर 355, शिव कालोनी वार्ड नं0 1,बयाना जिला भरतपुर  
.....सहऋणी

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्सन ऑफ फाइनेन्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002**

**आदेश**

**दिनांक 17.12.2019**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 28.02.2015 को प्रार्थी मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से 2144000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने रिहायशी प्लॉट खसरा न. 355 शिव कोलोनी भरतपुर रोड बयाना जिला भरतपुर क्षेत्रफल 2133 वर्ग गज को प्रार्थी के हक में बन्धक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया गया था।

अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 31.10.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी के दिनांक 06.11.2018 तक 2132721/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी./ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी. ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 20.11.2018 को अप्रार्थी. ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास

करने के बाबजूद भी अप्रार्थी. ऋणी द्वारा ऋण एवं देय ब्याज राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 20.11.2018 अप्रार्थी/ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। प्रार्थी के द्वारा सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

### अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी. ऋणी द्वारा प्रार्थी से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी. ने रिहायशी प्लॉट खसरा न. 355 शिव कोलोनी भरतपुर रोड बयाना जिला भरतपुर क्षेत्रफल 2133 वर्ग गज को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी को खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

( नथमल डिडेल )  
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर,  
भरतपुर

